

कार्यालय उप जिलाधिकारी तुलसीपुर, बलरामपुर।

पत्रांक ८९९ /आ०लि० / (प्रमाण-पत्र) / 2020

दिनांक: मार्च / ०१/2020

प्रमाण-पत्र

तहसीलदार तुलसीपुर जनपद बलरामपुर की आख्या दिनांक 18.03.2020 के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर में राप्ती मुख्य नहर के कि०मी० 71.490 से 72.300 के मध्य प्रभावित होने वाली 3.571 हे० आरक्षित वनभूमि को गैरवानिकी प्रयोग हेतु प्रस्तावित की गयी-ग्राम भंगहा कला, तहसील तुलसीपुर जनपद बलरामपुर की भूमि(गाटा संख्या 632 / 2,632 / 3,632 / 4,632 / 5,632 / 6,632 / 7,632 / 8,632 / 9,632 / 10,632 / 11,632 / 12, 632 / 13 एवं 632मि०) की भूमि निर्विवाद रूप से गैर वनभूमि है एवं इसका शासनादेश सं०-VIP-23/14.02.2019-190 जी/2018, दिनांक-28 जून 2019 के प्रस्तर-2 में वर्णित विन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।



(सुरेन्द्र प्रसाद)

अधिशाली अभियन्ता
राप्ती नहर निर्माण खण्ड-प्रथम
तुलसीपुर-बलरामपुर



उप जिलाधिकारी, तुलसीपुर
जनपद-बलरामपुर।



२३

प्रभागीय वनाधिकारी
सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग
बलरामपुर